

NHB(ND)/ROD/HFC/Refinance Circular 6/2015
Dated : 26-02-2015



To All Eligible Housing Finance Companies,

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 6/2014-15

**Special Refinance Scheme for Flood Affected Areas of Jammu & Kashmir
- Revision in Loan Tenure & Income Criterion**

1. Please refer to our Refinance Circular 1/2014-15 dated 16-10-2014 forwarding the **Special Refinance Scheme for Flood Affected Areas of Jammu & Kashmir**.
2. Based on the feedback received, the following modifications have been made under the scheme :
 - (g) The household income limit of ₹4 lakhs per annum has been removed.
 - (h) The cost / carpet area criterion will be applicable only in respect of new units.
 - (i) The tenure of refinance availed for new units has been increased to 10 years from the existing 7 years. The tenure for refinance extended for repairs, renovation and upgradation shall remain 7 years.
3. All other terms and conditions under the Special Refinance Scheme for Flood Affected Areas of Jammu & Kashmir as applicable to Housing Finance Companies as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-2464 9031-35 फ़ैक्स : 011-2464 6988, 2464 9041
वेबसाइट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in तार निवास बैंक

Wholly owned by Reserve Bank of India
Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : PBX 011-2464 9031-35 Fax : 011-2464 6988, 2464 9041
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in Gram : NIWAS Bank

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/एचएफसी/पुनर्वित्त परिपत्र 6/2015

दिनांकित: 26.02.2015

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां,

महोदया/ महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 6/2014-15

जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हेतु विशेष पुनर्वित्त योजना
- ऋण अवधि एवं आय मापदंड में संशोधन

1. कृपया हमारे दिनांक 16.10.2014 के पुनर्वित्त परिपत्र 1/2014-15 का संदर्भ लें जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हेतु विशेष पुनर्वित्त योजना अग्रेषित किये गये हैं।
2. प्राप्त की गई प्रतिक्रिया के आधार पर, योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:
 - क) रु. 4 लाख प्रति वर्ष की पारिवारिक आय सीमा को हटा दिया गया है।
 - ख) लागत/ कारपेट क्षेत्र मानदंड केवल नई इकाइयों के संबंध में लागू होंगे।
 - ग) नई इकाइयों के लिये प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की अवधि मौजूदा 7 वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। मरम्मत, नवीकरण और उन्नयन हेतु बढ़ाई गई पुनर्वित्त की अवधि 7 वर्ष रहेगी।
3. जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये विशेष पुनर्वित्त योजना के तहत आवास वित्त कंपनियों पर लागू और समय-समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम व शर्तें पूर्व की तरह लागू रहेंगे।

भवदीय,



(वी.वैदेश्वरण)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन